1	2	3	4	5	6
9.	Jammu & Kashmir		24.43	28.95	45.98
10.	Karnataka		185.86	213.34	241.00
11.	Kerala		79.27	101.55	122.54
12.	Madhya Pradesh		190.84	170.71	173.18
13.	Maharashtra		331.16	398.61	527.76
14.	Manipur		0.83	3.95	4.71
15.	Meghalaya		5.88	8.54	8.43
16.	Mizoram		3.02	3.85	5.99
17.	Nagaland		3.34	2.73	3.31
18.	Orissa		90.55	90.45	96.67
19.	Punjab		64.32	131.46	125.66
20.	Rajasthan		94.16	119.92	139.58
21.	Sikkim		2.86	2.97	4.81
22.	Tamilnadu		238.64	306.42	369.69
23.	Tripura		0.86	1.95	2.39
24.	Uttar Pradesh		376.29	396.75	571.19
25.	West Bengal		121.59	132.68	179.84
26.	Union Territories		48.26	72.96	99.52
		Total .	2661.76	3099.58	3790.98

Note:—Excluding assistance disbursed under Seed Capital Lonsf/Investments in Shares and Bonds of other DFIS and Loans to Leasing Companies.

आवास निर्माण के लिए बैंक ऋण

2524. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के सभी कमजोर वर्गों के नागरिकों को पेश आ रही कठिनाइयों को शीघ्रता से हल करने के लिए नई आवास ऋण नीति घोषित की है और राष्ट्रीयकृत बैंक नये मकानों के निर्माण और पुराने मकानों की मरम्मत आदि के लिए आसान शर्तों पर ऋण स्वीकृत करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस संबंध में अब तक जारी की गई हिदायतों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है तथा उनके कार्यान्वियन में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना/नई ऋण नीति के अधीन पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को, जिनके मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाल की बाढ़ों के कारण या तो पूरी तरह क्षति-ग्रस्त हो गए थे या आंशिक रूप में, ऋणों की शीघ्र अदायगी के लिये कोई विशेष हिदायतें जारी की हैं, और

(घ) यदि हां, तो कब और उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें मकान बनाने के प्रयोजन के लिये ऋण स्वीकृत किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फलेरियो) :

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अक्तूबर, 1988 से आवास वित्त के संबंध में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनके द्वारा कुछ वर्तमान उपबंधो को उदार बना दिया गया है । उदार आवास वित्त नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :—

(1) वाणिज्यिक बैंको के आवास ऋण की वापसी अदायगी की वर्तमान 10 वर्ष की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है ।

(2) ऋण पर अधिकतम मार्जिन को 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(3) आवासीय ऋण की ब्याज की दर में निम्नलिखित संशोधन किया गया है ।

ऋण की राशि	ब्याज की दर (वार्षिक प्रतिशत)
20,000 रुपये तक	12.5
20,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक	13.5
50.000 रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक	14.0
एक लाख रुपये से अधिक तक	14.5 से 16.00

अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिये 5,000 रुपये तक के आवास ऋण की 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(4) जहां संपत्ति बंधक रखना और सरकारी गारंटी संभव नही है वहां बैंक दूसरे किस्म की प्रतिभूतिया जैसे जीवन बीमा पॉलिसी, सरकारी प्रोनोट, शेयर और डिबेंचर, स्वर्ण आभूषण आदि स्वीकार कर सकते है ।

(5) बैंक अपने विवेकानुसार ऋण की किस्तों को इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं कि निम्न आय वर्ग आसानी से ऋण ले सके और वापसी अदायगी की किस्त सामान्यतया ऋण कर्त्ता की आय के 30% से अधिक न हो ।

(6) जो व्यक्ति अन्य स्रोतों स धन जुटा सकते हैं, बैंक उन्हें पूरक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकेंगे ।

(7) बैंक अतिरिक्त निर्माण करने, मरम्मत कराने और परिवर्तन कराने के लिए भी ऋण दे सकते हैं ।

(8) बैंक से आवास के लिए प्रति व्यक्ति कुल ऋण 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(ग) और (घ) वतमान मार्गनिर्देशों में बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों से लिए मकान की मरम्मत आदि के वास्ते भी सहायता की व्यवस्था है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी भागों में लागू होता है ।

World watch Institute's Report on India's forest cover

2525. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the Worldwatch Institute's report on India, 60 per cent of the country's total land has turned arid and barren, forest cover within 100